संख्या–2329/38–4–04–13जेआरवाई/01

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 03 सितम्बर, 2004

विषयः प्राथमिक विद्यालय में किचन शेड के निर्माण हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को गर्म पका–पकाया भोजन दिए जाने विषयक समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को सम्बोधित शिक्षा अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/02 टीसी–3 दिनांक 25.06.2004 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर–5 में उल्लिखित है कि ग्रामीण क्षेत्र में किचन शेड का निर्माण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से किया जाएगा।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाये जा रहे है। ग्रामीण विकास को समुचित दिशा एवं गति प्रदान करने में प्राथमिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के साथ–साथ स्थाई, सामुदायिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिसम्पत्तियों तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के मार्ग–निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत प्राथमिक विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण कराये जाने हेतु सक्षम है।

3. इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हैः–

1. यह कार्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित हो और उनके द्वारा अनुमोदित किया जाये।
2. बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद मं निर्माण किए जाने वाले किचेन शेड की संख्या एवं लागत का विवरण सम्बन्धित पंचायतों को उपलब्ध करायेंगें।
3. प्रस्ताव में उन प्राथमिक विद्यालयों को इंगित किया जाना चाहिए जहाँ पर किचेन शेड निर्मित होना है। इससे विचलन नहीं होना चाहिए।
4. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लिखित सभी मानक एवं शर्तें उक्त कार्यों पर लागू होगी एवं इसका सम्यक् रूप से अनुश्रवण किया जाय।
5. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह पूर्व से ही गठित है। मिड–डे–मील योजनान्तर्गत भोजन पकाने एवं वितरित कराने में इन समूहों की सहायता ली जाएगी, यदि समूह गठित नहीं है तो उनका गठन किया जाएगा।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के महत्वपूर्ण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में किचन शेड के निर्माण में धनराशि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित पंचायत समितियों–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(अरूण सिंघल)
सचिव

संख्या–2329(1)/38–4–04 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
5. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ह0
(ए0के0चतुर्वेदी)
विशेष सचिव